1148   C.P.C   1141

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये   FIVE RUPEES

रु.5   Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

8

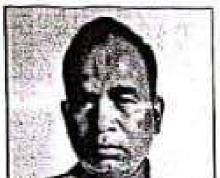

JHARKHAND   03AA 644773

5   4   3   2   1

Jayant Prasad

26/06/19

जयंत प्रसाद
26/6/19

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम
धारा के अधीन ....48 शुल्क
अधान भारतीय स्टाम्प अधि... शुल्क
नियम ... अनुसूची I ... एन. (ए. शुल्क
क्र सं० .... सलामी शुल्क
अधीन यथावत ... तलवाजा शुल्क
26/6/19
विशेष पदाधिकारी

(1) <u>विक्रेता का नाम एवं पुरा पता</u> :–
जयंत प्रसाद पिता स्व0 बेचन प्रसाद, जाति–सुंड़ी, जो सी0 एन0 टी0 एक्ट की धारा 46 (1) (बी) में उल्लेखित पिछड़ी जाति की सूचि से बाहर है जिस आशय का शपथ पत्र सं0– 9409 दिनांक– 26/06/2019 दिया जा रहा है। निवास स्थान–तपाखाश, मेन रोड लातेहार, पोस्ट एवं थाना–लातेहार, जिला–लातेहार, राज्य–झारखण्ड, पेशा–खेती, राष्ट्रीयता– भारतीय। शपथ पत्र सं0– 9410 दिनांक– 26/06/019 दिया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

(2) क्रेता का नाम एवं पुरा पता :-
शीला देवी पति सुनील कुमार पाण्डेय, जाति-ब्राहम्ण, निवास स्थान-धर्मपुर, पोस्ट एवं थाना-लातेहार, जिला-लातेहार,राज्य-झारखण्ड, पेशा-गृहिणी, राष्ट्रीयता-भारतीय। शपथ पत्र सं0 ....9511.... दिनांक 26/06/2019 समक्ष् लेख्य प्रमाणक लातेहार दिया जा रहा है।

(3) लेख्य प्रकार:-
विक्रय पत्र । (DEED OF SALE)

(4) तायदाद जरसमन :-
मो0 4,99,000/-चार लाख निनान्वे हजार रूपये मात्र।

(5) जमीन का विवरण:-
एराजी x-03 डी0 (तीन डीसमील) जमीन आवासीय लायक, हकियत रैयती मौरूशी नीजी-हिस्से तर्के में आपसी बंटवारा के तहत प्राप्त जायदाद, वाके मौजा-चन्दनडीह, थाना-लातेहार, जिला- लातेहार, अन्दर सबडिवीजन वो जिला रजिस्ट्री कचहरी मोकाम लातेहार वो अन्दर अधिसूचित क्षेत्र समिति, लातेहार। शै मोबईया सम्बन्धित ग्राम में अन्य सड़क पर अवस्थित है जिसका तफशील विवरण निम्न प्रकार है :-

मौजा	थाना एवं थाना नं0	तौजी नं0	खेवट नं0	अंचल	जमाबन्दी नं0	वार्ड नं0	पेज नं0	भौलुम नं0
चन्दनडीह	लातेहार 248	51	01	लातेहार	12	11	12	1

खाता नं0	पलौट नं0	रकबा	चौहदी
12 बारह	243 दो सौ तैंतालीस	x-03 डी0	उतर-रास्ता प्रस्तावित 8 फीट दक्षिण-क्रेता नीज का बाउण्ड्री पुरब-विक्रेता नीज पश्चिम-विक्रेता नीज

पैमाईश- उतर से दक्षिण 48 फीट लम्बा
पुरब से पश्चिम 27.4 फीट चौड़ा

01	01	x-03 डी0

जमा रकबा तीन डीसमील मात्र।

26/6/19

उज्वल रंजीत कुमार
पिता उपेन्द्र प्रसाद
ग्राम लातेहार थाना लातेहार
जिला लातेहार जाति ब्राह्मण
पेशा खेती

Scanned with CamScanner

शै मोबईया में किसी किस्म का कोई सरंचना नहीं है वो शै मोबईया टाउन लीज से मुक्त वो सिलिंग एरीया से बाहर है जो बन्दोबस्ती एवं भुदान की जायदाद नही है जो वन सीमा से बाहर है।

सालाना मालः–
मो0 0.50-(पचास) पैसा मात्र।
लगान पानेवाला झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय–लातेहार, जिला– लातेहार।

यह कि मुन्दर्जे खाना पांचवा का वर्णित सम्पति विक्रेता की हकियत रैयती मौरूशी जायदाद है जो विक्रेता को आपसी बंटवारा के तहत प्राप्त हुआ है जिसका मौजुदा डिमान्ड विक्रेता के परदादा स्व0 झौड़ी साहु के नाम से जमाबन्दी नं0–12, पेज नं0–12 भौलुम नं0–1 के तहत चल रहा है वो रसीद कट रही है जिसपर विक्रेता वर्तमान में बहैसियत जायज मालिक के कायम वो काबिज दखलकार चले आते है वो है वो विक्रेता को मालिकाना अधिकार प्राप्त है।

यह कि उक्त जायदाद कैडस्ट्रल सर्वे खतियान में विक्रेता के परदादा स्व0 झौड़ी साहु पिता हरदयाल साहु के नाम से दर्ज पाया है।

सरेदस्त विक्रेता को चन्द जरूरी खर्च हेतु रूपये की दरकार है जिसकी व्यवस्था हेतु विक्रेता के पास सिवाय जमीन बिक्री करनें के कोई दुसरा उपाय नही है इस गरज से विक्रेता ने भूमि बिक्री का एलान किया जिसके उपरान्त क्रेता ने विक्रेता से सम्पर्क साधकर उक्त भूमि को खरीदनें की इच्छा प्रकट किये वो क्रेता के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि विक्रेता काली रोड धर्मपुर से बुनियादी विद्यालय के सामने से खाना पांचवा में वर्णित भूमि तक 10 फीट का रास्ता की व्यवस्था करेंगे जिसपर विक्रेता तैयार हो गये एवं रास्ता का प्रबन्ध होने के बाद विक्रेता एवं क्रेता के दरमियान उक्त भूमि की खरीद बिक्री का बातचीत पक्का हुआ एवं जरसमन की राशि मो0 499000/–चार लाख निनान्वे हजार रूपये निर्धारित किया गया।

तत्पश्चात तारीख तहरीर के दिन विक्रेता क्रेता से मो0 499000/–चार लाख निनान्वे हजार रूपये जरसमन पाकर खाना पांचवा की जायदाद को क्रेता के हांथो बेचा वो केवाला बैयला कलामी किया वो उससे अपना कब्जा दखल हक हकूक उठाकर क्रेता को कब्जा दखल देकर दखलकार कर दिया।

अब चाहिए कि क्रेता खाना पांचवा में वर्णित जायदाद को अपनें कब्जा दखल में लाकर अपनें मसरफ में लावें, सकुनती मकान तामीर करे, या जो उचित समझे करे। क्रेता को अधिकार है कि वे शै दस्तावेज के आधार पर अंचल कार्यालय में अपना नाम से दाखिल खारीज कराकर सालाना माल देकर वसूली की रसीद साल बसाल ले लिया करे उसमें विक्रेता या उनके वारिशानों को कोई

Scanned with CamScanner

उजूर वो एतराज नही है वो ना आईन्दा कभी होगा। शै केवाला हर तरह से पाक साफ है।

शै जमीन में किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होती है तो उसका जिम्मेवार विक्रेता होंगे एवं होने वाले विवाद का निपटारा भी विक्रेता करेगा।

शै मोबईया का नक्शा दस्तावेज के साथ संलग्न है जिसमें बिक्री की जानें वाली भूमि लाल रंग से दर्शाया गया है जो दस्तावेज का एक अंग है।

इसलिए विक्रेता अपनी खूशी राजी से यह वसीका केवाला विक्रय पत्र बनाम वो बहक क्रेता के पक्ष में लिख दिया की सनद रहे वो समय पर काम आवे। फकतः–

26/6/19

5 4 3 2 1

Adv.
26/06/2019.

शीला देवी
26/6/19

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है के बांये हांथ के अंगूलियों के निशान मेरे सामने लिया गया है।

कातिबः–

वसीका नवीस,
लातेहार कोर्ट,
जिला– लातेहार,
ता० 26/6/19
मजमुन दोनों पक्षों को पढ़कर सुना दिया। वे बोलें की ठीक है।
Mob. No. 7779976786

Scanned with CamScanner

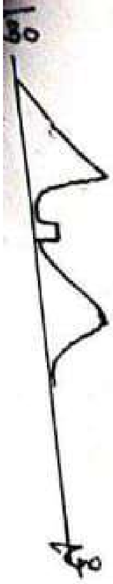

मौजा - चन्दनडीह

थाना नं० - २४८

थाना - लातेहार

जिला - लातेहार

पैमाना - १६" = १ मील।

संकेत - बिक्री की भूमि लाल रंग से □

खाता	प्लौट	रकबा	चौहद्दी
१२	२४३	0.03 ए०	उ० रास्ता प्रस्तावित 8 फिट द० क्रेता नीज का बाउंड्री पु० विक्रेता नीज प० विक्रेता नीज

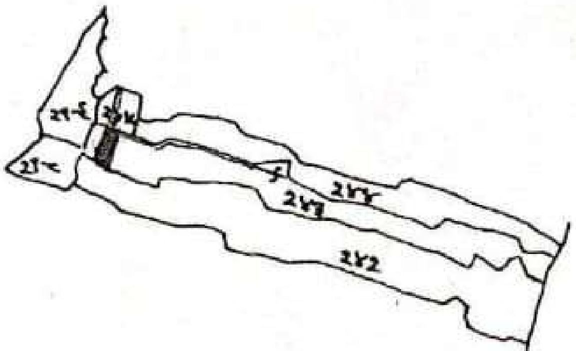

विक्रेता - जयंत प्रसाद

क्रेता - शीला देवी

तैयार किया।

अमीन